राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.5(5)प्र.सु. / अनु–4 / 2006

जयपुर, दिनांकः - 3 OCT 2019

परिपत्र

विषयः सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी एवं कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–4) विभाग द्वारा निर्गत समसंख्यक परिपत्र क्रमशः दिनांक 05.12.2006 एवं 11.03.2015 के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों की राजकीय कार्यालयों में समय की पाबंदी की अनुपालना के संबंध में यह दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है कि नियत समायानुसार कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति का समय प्रातः 09.00 बजे तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का समय 09.30 बजे (अधिकतम प्रातः 09.40 तक) है। उक्त नियत समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉस (X) अंकित कर दिया जायेगा तथा विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रायः यह ध्यान में लाया गया है कि शासन सचिवालय में अवस्थित विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्यालय में विलम्ब से उपस्थित होने पर भी उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति अंकित कर रहे हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कृत उक्त कृत्य विद्यमान सेवा नियमान्तर्गत एवं सुसंगत दिशा–निर्देशानुसार धोर अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव से निवेदन किया जाता है कि वे उक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

VISHNU/AR/2019